ग्राम पंचायत पूनंग, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

1. (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 **द्वारा** पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पूनंग, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग **द्वारा** किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे : –

प्रधान :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री अजय कुमार	01.04.14 से 22.01.16
2	श्रीमति स्टैफी	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति सत्या देवी	01.04.2014 से 14.07.2016
2	श्री बाल कृष्ण	15.07.2016 से लगतार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत पूनंग के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.06
2	6	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	5.34
3	7	क्रय सामग्री की भण्डारण प्रविष्टियां न करना	7.26
4	8	सोलर लाईट के क्रय पर अनियमित व्यय	0.82
5	9	निर्माण कार्यों से सम्बंधित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	22.60
6	10	टेबल क्रय पर अनियमित भुगतान	0.03

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत पूनंग, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री सोम राज कपूर, अनुभाग अधिकारी

द्वारा दिनांक 30.10.2017 से 03.11.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमश: माह 3/15, 9/15, 3/17 तथा 4/14, 3/16 व 7/16 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत पूनंग, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिoप्रo, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: फिन(एल.ए.)एस.आर.के./45 दिनांक 01.11.2017 **द्वारा** अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत **द्वारा** हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, शाखा टापरी के ड्राफ्ट संख्या: 101051 दिनांक 01.11.2017 के अंतर्गत यह राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. शिमला-171009 को प्रेषित की गई है ।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत पूनंग, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर **द्वारा** प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका निधि वार विवरण निम्न पैरा **4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6** व **4.7** पर तथा माह वार आय-व्यय का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट – क, ख, ग, घ, ड., च,** तथा **छ** पर दिया गया है :-

संकलित वितीय स्थिति :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	1156396.50	1078077.00	2234473.50	888767	1345706.50
2015-16	1345706.50	1590276.00	2935982.50	1529073	1406909.50
2016-17	1406909.50	3813877.72	5220787.22	1723237	3497550.22

4.1 अनुदान तथा स्व: स्त्रौत :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	570987.50	261755	832742.50	253351	579391.50
2015-16	579391.50	188807	768198.50	226844	541354.50
2016-17	541354.50	1215485	1756839.50	363074	1393765.50

1) रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष : **₹1393765.50**

2) दिनांक 31.03.2017 को हि .प्र. रा. स. बैंक, सीमित, टापरी खाता संख्या: 26110106239 में जमा राशि:- **₹1393765.50**

अन्तर : शून्य

4.2 मनरेगा :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	812	149589	150401	149189	1212
2015-16	1212	172296	173508	172062	1446

2016-17	1446	351382	352828	352828	शून्य

4 . 3 आइ. ए. वाइ. एण्ड आर. ए. वाइ. (IAY & RAY) :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	179160	114753	293913	217000	76913
2015-16	76913	985	77898	76030	1868
2016-17	1868	74323	76191	75868	323

1) रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष : **₹323.00**

2) दिनांक 31.03.2017 को हि .प्र. रा. स. बैंक, सीमित, टापरी खाता संख्या: 8204 में जमा राशि: - **₹323 .00**

अन्तर : शून्य

4.4 तेरहवां एवं चौदहवां वित आयोग (13th & 14th FC) :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	2101	197579	199680	–	199680
2015-16	199680	29089	228769	42870	185899
2016-17	185899	700703.72	886602.72	398778	487824.72

1) रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष : **₹ 487824.72**

2) दिनांक 31.03.2017 को हि .प्र. रा. स. बैंक, सीमित, टापरी खाता संख्या: 6479 में जमा राशि: - **₹487824.72**

अन्तर : शून्य

4.5 लाडा (LADA) :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	309674	109539	419213	192689	226524
2015-16	226524	863461	1089985	586544	503441
2016-17	503441	1412648	1916089	314689	1601400

1) रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष : **₹1601400.00**

2) दिनांक 31.03.2017 को हि .प्र. रा. स. बैंक, सीमित, टापरी खाता संख्या: 8172 में जमा राशि: - **₹1601400.00**

अन्तर : शून्य

4.6 आइ. ड्ब्ल्यू. एम. पी.(IWMP) :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	शून्य	244064	244064	–	244064

2015-16	244064	335259	579323	406500	172823
2016-17	172823	59336	232159	218000	14159

1) रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष : **₹14159.00**

2) दिनांक 31.03.2017 को हि .प्र. रा. स. बैंक, सीमित, टापरी खाता संख्या: 26110111567 में जमा राशि: - **₹14159.00**

अन्तर : शून्य

4.7 हरयाली (HARYALI) :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	93662	798	94460	76538	17922
2015-16	17922	379	18301	18223	78
2016-17	78	–	78	–	78

1) रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष : **₹78.00**

2) दिनांक 31.03.2017 को हि .प्र. रा. स. बैंक, सीमित, टापरी खाता संख्या: 6347 में जमा राशि: - **₹78.00**

अन्तर : शून्य

5 पंचायत राजस्व ₹0.06 लाख वसूली हेतु शेष :-

पंचायत की स्व :स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से जांच में पाया गया कि गृहकर/सम्पतिकर की अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक आंशिक वसूली की गई थी जो कि एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि गृहकर पंचायत की आय का मुख्य स्त्रोत है एवं इससे पंचायत को ब्याज के रूप में भी हानि हुई है। अतः गृहकर की मांग व वसूली नियमानुसार प्रतिवर्ष न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में प्रतिवर्ष गृहकर की मांग व वसूली करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक गृहकर के रूप में ₹6250 पंचायत के राजस्व की वसूली शेष थी जिसकी अविलम्ब प्राप्ति सुनिश्चित की जाये :-

वर्ष	अथशेष	मांग की जानी अपेक्षित	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	-	2000	2000	30	1970
2015-16	1970	2000	3970	-	3970
2016-17	3970	2400	6370	120	6250

6 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही ₹5.34 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय :-

हि. प्र. पंचायती राज (वित, बजट,लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) में स्टॉक /स्टोर का क्रय करने की औपचारिक्ताएं प्रावधित हैं । व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि "**परिशिष्ट-ज की पाद टिप्पणी-1"** में दिये गये विवरणानुसार पंचायत **द्वारा** ₹534487 के स्टॉक/स्टोर का क्रय बिना औपचारिकताओं को पूर्ण किये अर्थात निविदाएं आमंत्रित किये बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

7 ₹7.26 लाख के क्रय की भण्डारण प्रविष्टियाँ न करना:-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार क्रय किये गये स्टॉक/स्टोर की भण्डारण प्रविष्टियां किया जाना अपेक्षित हैं । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण मे पाया गया कि "**परिशिष्ट-ज की पाद टिप्पणी-2"** में दिये गये विवरणानुसार **₹**726104 के क्रय की गईं विविध वस्तुओं की भंडारण प्रविष्टियां नहीं की गईं जो कि उक्त नियम के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अत: स्टॉक/स्टोर का रख-रखाव नियमानुसार न होने के करने के कारणों को

स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का लेखा- जोखा रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।

8 सोलर लाईटों के क्रय पर ₹0.82 लाख का अनियमित व्यय :-

सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: पी0सी0एच0 – एच0सी0 (10)1/2015(एफ0एफ0सी0) दिनांक 29-5-216 के साथ संलग्न परिशिष्ट के क्रम 1 से 9 के अन्तर्गत अधिसूचित गतिविधियों पर 14वें वित आयोग के तहत प्राप्त अनुदान राशि का मात्र 10% तक ही व्यय किया जा सकता है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही पृष्ठ 117 पर दर्ज प्रविष्टि के अनुसार दिनांक 18-7-2016 को ₹184197 की राशि 14वें वित आयोग के अंतर्गत प्राप्त की गई जिसका 10% अर्थात ₹18420 मात्र ही उपरोक्त पत्र में वर्णित गतिविधियों पर व्यय किया जाना अपेक्षित था परन्तु पंचायत **द्वारा** सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप व्यय न करके निम्न विवरणानुसार ₹100433 का व्यय केवल 35 सोलर लाईटों के क्रय व उनकी स्थापना पर ही किया गया जो कि अपेक्षित राशि से ₹82013 (100433 – 18420) अधिक है। अत: सोलर लाईटों के क्रय व उनकी स्थापना पर अपेक्षित राशि से अधिक राशि का व्यय किया जाना अनियमित व आपतिजनक है जिसके बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक व्यय की गई राशि की वसूली करके पंचायत निधि में जमा किया जाये :-

दिनांक	वाउचर संख्या	रोकड़बही पृष्ठ	विवरण	राशि	टिप्पणी
28-7-2016	08	117	35 सोलर लाईटों का क्रय	77665	सोलर लाईटों के क्रय की भण्डारण प्रविष्टि तथा स्थापना सम्बंधि अभिलेख भी अंकेक्षण में नहीं दर्शाया गया जिसे आगमी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
28-9-2016	12	118	सीमेंट का क्रय	7268	
28-9-2016	13	119	रेत का क्रय	5000	
28-9-2016	15	119	बजरी का क्रय व अन्य व्यय	10500	
		कुल :-		**₹100433**	

9 ₹22.60 लाख निर्माण कार्यों से सम्बंधित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना: –

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भते) नियम, 2002 के नियम 101 के अनुसार विभिन्न संकर्मों के निष्पादन का ब्यौरा माप पुस्तिका मे निर्धारित रीति के अनुसार रखा जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान अवधि 1.4.14 से 31.3.17 में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत निष्पादित संकर्मों की माप पुस्तिकाऐं प्रस्तुत नहीं की गईं जिसके कारण "**परिशिष्ट – ज पाद टिप्पणी-3**" में दर्शाये गये भुगतान ₹2260463 की विभिन्न राशियों की मद वार वास्तविक निष्पादित मात्रा व मूल्यांकित राशि से जांच सम्भव नहीं हो पाई और न ही विभिन्न संकर्मों में उपयोग किये गये सामान का विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया परिणामस्वरूप संकर्म वार क्रय/जारी सामान की मात्रा की वास्तव में उपयोग अथवा शेष मात्रा से तुल्नात्मक जांच सुनिश्चित नहीं की जा सकी। अत: उपरोक्त के सम्बंध मे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

10 फर्नीचर की खरीद पर ₹0.03 लाख का अनियमित/अधिक भुगतान:-

सामान्य रोकड़ बही पृष्ठ 20 पर दर्ज प्रविष्टि के अनुसार ₹58600 का भुगतान मै0 हिमालयन फर्नीचर इण्डस्ट्री सिंगला (रामपुर) को प्रमाणक संख्या 26 दिनांक 12-1-2015 के अंतर्गत विविध प्रकार के फर्नीचर के क्रय हेतु किया गया। व्यय वाउचर एवं सम्बंधित निविदा की जांच में पाया गया कि उपरोक्त फर्म **द्वारा** एक ऑफिस टेबल की आपूर्ति ₹7500 की दर से की जानी थी परंतु विक्रेता फर्म **द्वारा** ऑफिस टेबल के लिये ₹10550 की दर से दावा प्रस्तुत किया गया तथा दावे के अनुसार ही ₹10550 का भुगतान पंचायत **द्वारा** भी कर दिया गया जो कि निविदा में दी गई दर से ₹3050 (10550 – 7500) अधिक था।

अत: इस प्रकार अनियमित रूप से अधिक भुगतान की गई ₹3050 बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इसकी वसूली करके पंचायत निधि में जमा किया जाये।

11 वर्गीकृत सार रजिस्टर तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भते) नियम, 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में आय – व्यय का वर्गीकृत सार तैयार करना अपेक्षित है अर्थात मद वार पृथक पन्ने पर एक भाग में आय और दूसरे भाग में व्यय की लेन - देन के अनुसार प्रविष्टियां की जायेंगी तथा मासिक प्रगतिशील योग किया जायेगा। इस सार को बनाने का उद्देश्य आय – व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखना है। जांच में पाया गया कि पंचायत **द्वारा** उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख तैयार नहीं किया गया है जिसके बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार वर्गीकृत सार रजिस्टर का निर्माण किया जाये।

12 मोबाईल टावर शुल्क प्राप्त न करना और न ही इसका मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार करना :-

पंचायत सचिव **द्वारा** प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुसार पंचायत एरिया में भारतीय संचार निगम, ऐयरटैल तथा रिलायंस कम्पनी के कुल तीन मोबाईल टावर स्थित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान मोबाईल टावर की स्थापना की वास्तविक तिथि तथा वार्षिक शुल्क की मांग एवं प्राप्ति सम्बंधि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कुल प्राप्ति योग्य शुल्क तथा वास्तविक प्राप्त शुल्क का निर्धारण सम्भव नहीं हो सका। अत: विभिन्न मोबाईल कम्पनियों के टावर शुल्क का स्थापना की तिथि से अब तक समय – समय पर निर्धारित दरों के आधार पर वार्षिक मांग एवं प्राप्ति का अभिलेख तैयार किया जाये तथा वास्तविक प्राप्त शुल्क व प्राप्ति हेतु शेष शुल्क के आंकड़ों का निर्धारण करके यथोचित कार्यवाही अमल में लाकर अंकेक्षण को अवगत किया जाये और अब तक अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य भी स्पष्ट किया जाये।

13 लकड़ी की चिराई पर किया गया ₹0.71 लाख का संदिग्ध भुगतान:-

लाडा निधि के व्यय वाउचरों की जांच पर पाया गया कि प्रमाणक संख्या 02 दिनांक 10-4-2014 (रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 71) व 05 दिनाक 06-4-2016 (रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 84) के अंतर्गत क्रमश: ₹50100 व ₹20880 कुल ₹70980 का भुगतान श्री सुखी लाल, टापरी को विष्णु मंदिर पूनंग के निर्माण के सम्बंध में इमारती लकड़ी की चिराई हेतु किया गया परन्तु व्यय की गई इन राशियों की तुल्नात्मक जांच हेतु लकड़ी की मात्रा का स्टॉक मे होने अथवा क्रय किये जाने का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण उपरोक्त भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: अपेक्षित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14 अदायगी आदेश के बिना भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 49(1) व (2) के अनुसार पंचायत **द्वारा** किसी वाउचर के लिये नकद या चैक **द्वारा** कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव **द्वारा** शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुये संयुक्तत: हस्ताक्षरित या आद्द्याकक्षरित नहीं किया जाता है। भुगतान वाउचरों की जांच पर पाया गया कि पंचायत **द्वारा** संयुक्त भुगतान आदेशों के बिना ही भुगतान किया गया जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के साथ ही आपतिजनक भी है। अत: इस सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में सभी प्रमाणकों पर नियमानुसार भुगतान आदेश अंकित करने के उपरांत ही आदायगी सुनिश्चित की जाये।

15 प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि. प्र. पंचायती राज (वित, बजट,लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 73 के अनुसार पंचायत के भंडार का प्रत्येक छ: महीने बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** भंडार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करायें।

16 **लघु आपत्ति विवरणिका :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है। समस्त लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर लिया गया है।

17 **निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्कता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15)(ix) 5/2017 खण्ड–1–2383–2386 दिनांक 04.04.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, किन्नौर, जिला किन्नौर, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत पूनंग, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881